POLITICAL SCIENCE Dep.
B.A-I (Hons), Paper-I

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur,
Samastipur

औचित्यपूर्णता (Legitimacy)

औचित्यपूर्णता अंग्रेजी शब्द Legitimacy का हिन्दी रूपांतर जो लैटिन भाषा के 'Legitumus' से बना है। मध्यकाल में इसे 'Legitimitas' या अंग्रेजी भाषा में 'Lawful' अर्थात् 'वैधानिक' कहा जाता है। प्लेटो ने 'न्याय' भावना के अंतर्गत औचित्यपूर्णता के विचार का प्रतिपादन किया। अरस्तू ने कानूनसम्मत शासन के रूप में इस अवधारणा का चित्रण किया। आधुनिक युग में इसका पहली बार प्रतिपादन ~~मैक्स~~ वेबर द्वारा किया गया। उनके अनुसार औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित होती है और राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञापालन की स्थिति प्राप्त करती है। उन्होंने औचित्यपूर्णता के तीन आधार बताए हैं।

लिपसेट के अनुसार "औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएँ समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं।"

डोल्फ स्टर्नबर्जर ने इसे शासकीय शक्ति की नींव माना है।

Scanned with CamScanner